

मध्यप्रदेश विधान सभा

(मार्गदर्शक) अनुसारीकृती इंडियन प्रॉफेशनल्स एवं इन्डियन एजेंट्स की ओर से
- अनुसारीकृती का अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक १९ अगस्त, १९९६ (श्रावण २८, १९९८)

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह जूदेव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

३. प्रश्नोत्तर.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਥੋਂ ਰਾਮ ਮਨੁ ਭਾਵੁ, ਅਨੁ ਮੁ ਕੀ ਬੀ

पृथकतः वितरित सूची में सम्प्रिलिपि प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

३. पत्रों का पटल पर रखा जाना।

(१) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद १५१ के खांड (२) की अपेक्षानसार :-

प्राचीन काल से विद्युति का उपयोग विभिन्न कार्यों में अपनी विशेषताएँ विकसित हो रही हैं।

(ख) विनियोग लेखे वर्ष १९९४-९५,

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक ३१ मार्च, १९९५

(इ) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का दिनांक ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त

वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल) क्रमांक-४, तथा

(ड.) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक ३१ मार्च, १९९५
तो —————— रुपये —————— (रुपये) —————— रुपये

का समाप्त वर्ष का क्रमांक-२ (वाणिज्यिक), पटल पर रखना।

(२) डॉ. प्रेमसाय सिंह, मछली पालन मंत्री, भद्रप्रदेश राज्य मत्त्व विकास निगम अधिनियम, १९७९ (क्रमांक ६ सं १९७९) की धारा ३० की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार भद्रप्रदेश राज्य मत्त्व विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५, घटल पर रखेंगे।

(३) श्री रविन्द्र चौधे, गज्ज मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २३ सन् १९९१) की धारा १७ की अपेक्षानुसार :-

- (क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५,
- (ख) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५ एवं वार्षिक लेखा वर्ष १९९४-९५,
- (ग) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, गवपुर का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५ (दिनांक १०-७-१४ से दिनांक ३०-६-९५), तथा
- (घ) डॉक्टर हरेसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक १ जुलाई, १९९४ से दिनांक ३० जून, १९९५, पटल पर रखेंगे।

४. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

- (१) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के गंडई तथा रेगाखार वन परिक्षेत्र में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (२) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, कटनी कृषि उपज मण्डी में कृषकों की उपज क्रब न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

५. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन.

- (६) श्री कांतिलल मूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे : -
- "मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम २३४-ख के उपनियम (१) के द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष १९९६-९७ की शेष अवधि के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये (जो अनुसूचित जनजाति का होगा) अग्रसर हों।"

६. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन.

श्री अजय नागरण मुशर्रन, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे : -

"मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम २२३-ख के उप नियम (१) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष १९९६-९७ की शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

७. विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिये सदस्यों का निर्वाचन.

श्री रविन्द्र चौबे, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

"यह सभा उस गति से जैसी अध्यक्ष मढ़ेदम् निर्वाचित करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की अब २० की उपधारण (१) के पद (अठरह) की अपेक्षानुसार युरु आमीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) में रिवत हुए एक-एक स्थान की पूर्ति के लिए विधान सभा के सदस्यों में से एक-एक सदस्य के निर्वाचन के लिए आग्रह हों।"

निर्धारित

समय

३० मिनिट

१ घन्टा

२ घन्टे

८. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(१) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १३ सन् १९९६) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाव।

(२) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व) प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १४ सन् १९९६) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय।

(३) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री, आवास, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १६ सन् १९९६) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय।

अशोक चतुर्वदी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल.

दिनांक १८ अगस्त, १९९६.